UPBJ180013892024

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), नगीना, बिजनौर।

सिविल वाद सं. 377/2024

वसीम अहमद बनाम जाकिर आदि

दिनॉकः–25–04–2025

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते रैप्लीकेशन/वाद–बिन्दु विरचना नियत है। वादी की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद कोई रैप्लीकेशन दाखिल नहीं किया गया है। अतः वादी का रैप्लीकेशन दाखिल करने का अवसर समाप्त किया जाता है। धारा 89 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के विकल्पों पर विचार किया गया, लेकिन न्याय मत से उक्त वाद किसी अन्य वैकल्पिक फोरम को सन्दर्भित किए जाने योग्य नहीं है। अतः पक्षकारों के विधि एवं तथ्यों की प्रतिपादनाओं के आधार पर अधोलिखित वाद बिन्दु विरचित किए जाते हैंः–

1. क्या वादी वादपत्र में वर्णित कथनों के आधार पर विवादित सम्पत्ति जिसका विवरण वादपत्र के अन्त में दिया गया है का बैनामा प्रतिवादी सं.1 से स्वयं के पक्ष में निष्पादित करा पाने का अधिकारी है?
2. क्या वादी वादपत्र में वर्णित कथनों के आधार पर विवादित सम्पत्ति जिसका विवरण वादपत्र के अन्त में दिया गया है के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है?
3. क्या प्रस्तुत वाद अल्पमूल्यांकित है?
4. क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
5. क्या दावा वादी आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के प्रावधानों से बाधित है?
6. क्या दावा वादी विबन्धन एवं मौन स्वीकृति के सिद्धान्त से बाधित है?
7. क्या दावा वादी अनावश्यक पक्षकार बनाये जाने के दोष से दूषित है?
8. क्या दावा वादी आदेश 2 नियम 1 सी0पी0सी0 के प्रावधानों बाधित है?
9. क्या वादी किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है?

उपर्युक्त वाद बिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य कोई वाद बिन्दु नहीं बनता है, न ही पक्षकार द्वारा बल दिया गया है। पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद–बिन्दु सं. 3 व 4 दिनांक 08–05–2025 को पेश हो।

(प्रतीक त्रिपाठी)
सिविल जज,(जू0डि0),
नगीना, बिजनौर।
आई.डी.सं0–UP03205